संख्या:270/2015/3344जेएल/22-3-15-100(110)/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2015***

विषय: विभिन्न कारागारो में निरूद्ध 13 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-42022/सामा-1(3)/बंदी स्थानान्तरण/2015, दिनांक 22-09-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार विभिन्न कारागारो में निरूद्ध निम्नलिखित 13 (तेरह) सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को उनके सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदी को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	पिकू सिंह उर्फ राणा प्रताप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह	जि0का0 गोरखपुर	जि0का0 झांसी
2	सन्नी सिंह उर्फ मृगेन्द्र सिंह पुत्र श्री उग्रसेन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह	जि0का0 गोरखपुर	जि0का0 मरेठ
3	सि0/वि0 बंदी सत्यव्रत राय पुत्र श्री दानबहादुर राय	जि0का0 गोरखपुर	जि0का0गाजियाबाद
4	विश्वजीत सिंह उर्फ विसई सिंह पुत्र श्री जय सिंह	जि0का0 गोरखपुर	जि0का0 अलीगढ़
5	मेहताब उर्फ काना उर्फ जीवा उर्फ प्रधान पुत्र श्री असगर	जि0का0 सहारनपुर	जि0का0 गोण्डा
6	मुनशाद उर्फ मुमताज उर्फ फारूख उर्फ आशू पुत्र श्री शाहदीन	जि0का0 सहारनपुर	जि0का0 मैनपुरी
7	महिला बंदी मीनू त्यागी पत्नी श्री विक्की उर्फ विक्रान्त त्यागी	जि0का0मुजफ्फरनगर	जि0का0 देवरिया
8	कपिल कटारिया पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह	के0का0 नैनी	जि0का0 बांदा
9	विकास सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह	के0का0 नैनी	जि0का0 बदायूँ
10	सतीश सिंह पुत्र श्री अखिलेश सिंह	के0का0 नैनी	जि0का0 ललितपुर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11	शाकिब पुत्र श्री शहनवाज	के0का0 नैनी	जि0का0 पीलीभीत
12	सि0/वि0 बंदी राजकुमार यादव पुत्र श्री चन्द्रभान यादव	के0का0 नैनी	जि0का0 बस्ती
13	रईस सिद्दीकी पुत्र श्री इश्तियाक अहमद	जि0का0 वाराणसी	जि0का0 बरेली

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या:270/2015/3344जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/इलाहाबाद/वाराणसी।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/इलाहाबाद/वाराणसी।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/वाराणसी/झांसी/मेरठ/गाजियाबाद/अलीगढ़/गोण्डा/मैनपुरी/देवरिया/बांदा/बदायूँ/ललितपुर/पीलीभीत/बस्ती/बरेली।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।